

फर्द अहकाम



(नियम 26)


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा, मुकाम मालाखेडा

धारा बनाम सुखपाल

किस्म मुकदमा दावा 212 आर.टी.ए.

मु० नं०.....2/215सन-2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<div style="border: 2px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block; font-size: 24px; font-weight: bold;">2025/392</div>		
8.11.2025	<p>प्रार्थी वकील ने राजस्व वाद के साथ-साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत किया, प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जर्ये रजि० नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 26. 12.2025 को पेश हो।</p> <div style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <u>26/12/25</u> पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप०। वार का कार्य स्थगन है। पीएसडी अधिकारी अन्य प्रशा० कार्या में व्यस्त है। दिनांक.....को पेश हो। <u>03/02/26</u>  सीडर </p>	
	<p><u>03/02/26</u> पत्रावली पेश हुई। मूल वाद वकील वादी की अनु०मे अदम हाजरी अदम फेवरी मे खवायेज हो चुका है। अतः प्रा० पत्रकी वकील प्रार्थी की अनु०मे अदम हाजरी अदम फेवरी मे खवायेज किया जाता है। पत्रावली फासल होकर नम्बर से काम हो। वाद प्रीत विलगत मूल वाद रहे।</p>	


 उपखण्ड अधिकारी
 मालाखेडा (अलवर)